ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 23 / C / 2024 किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज

श्री गगन सिंह पुत्र कृष्ण चंद, निवासी महाल ननवार, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

श्री गगन सिंह पुत्र कृष्ण चंद, निवासी महाल ननवार, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय / न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि उसका नाम अनुसार स्कूल प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि में गगन सिंह दर्ज है जो कि सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल ननवार, जानस पनेरा, चढ़ियार खास, डोली कलां में उसका नाम गगन कुमार दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक अपना नाम उपरोक्त राजस्व अभिलेख महाल ननवार जानस पनेरा, चढ़ियार खास, डोली कलां में दुरुस्त करके गगन सिंह करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 21–11–2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 24–10–2024 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 24 / BDR / 2024 किस्म मुकद्दमाः जन्म / मृत्यु पंजीकरण

श्री रोशल लाल पुत्र मान सिंह, निवासी भुन्खेड, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

श्री रोशल लाल पुत्र मान सिंह, निवासी भुन्खेड, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि उसकी बहन श्रीमती सुमन कुमारी पुत्री मान सिंह की मृत्यु दिनांक 06–03–2001 को महाल भुन्खेड, उप–तहसील चढ़ियार पर हुई थी। परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत भुलाना में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया जा सका व अनुरोध किया है कि इनकी मृत्यु पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28–11–2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 29–10–2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 24/C/2024 किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज

श्रीमती ईसरां देवी विधवा कृष्ण चंद, निवासी महाल ननवार, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। ..प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता ..प्रत्यार्थी।

श्रीमती ईसरां देवी विधवा कृष्ण चंद, निवासी महाल ननवार, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि उसका नाम अनुसार परिवार नकल, पेंशन रिकार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि में ईसरां देवी दर्ज है जो कि सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल ननवार, चढ़ियार खास में उसका नाम ईशरी देवी दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदिका अपना नाम उपरोक्त राजस्व अभिलेख महाल ननवार, चढ़ियार खास में दुरुस्त करके ईसरां देवी करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 21–11–2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 24–10–2024 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 10/NT/C/2024 तारीख दायरा : 29–10–2024 तारीख पेशी : 28–11–2024

सुरिन्द्र मोहन सिंह पुत्र धर्म सिंह, वासी महाल नंगल, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण।

विषय.——प्रार्थना–पत्र राजस्व अभिलेख महाल कस्बा में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल कस्बा में सुरिन्द्र कुमार पुत्र धर्म सिंह पुत्र जगन नाथ, वासी महाल नंगल दर्ज है जबकि स्कूल रिकार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ग्राम पंचायत गोरालधार व राजस्व अभिलेख महाल नंगल में सुरिन्द्र मोहन सिंह पुत्र धर्म सिंह पुत्र जगर नाथ दर्ज है। जो कि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल कस्बा में सुरिन्द्र कुमार उपनाम सुरिन्द्र मोहन सिंह पुत्र धर्म सिंह पुत्र जगन नाथ के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28–11–2024 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29–10–2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

———————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह, निवासी गांव व डा0 रैहन, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना–पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह, निवासी गांव व डा0 रैहन, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 24–03–2009 को गांव व डा0 रैहन, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ है। जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका। जिसे वह ग्राम पंचायत रैहन के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 29–11–2024

को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत रैहन के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04—11—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

———————————